

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व गोखवा

भू अभिलेख निरीक्षक गोखवा

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम करवलो शिखेडा पटवार हल्का गोखवा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् २०१५-१०-२०७८ में खाता संख्या ७८ में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	<u>करवलो शिखेडा</u>	<u>७८</u>	<u>अमिल उर्फ अकीला चानो ५६० फुमाज मोल्का कुसलमान डि० बी० श्रीया जेडा</u>	<u>अमिल उर्फ अकीला चानो ५६० फुमाज मोल्का - कुसलमान डि० बी० श्रीया जेडा</u>

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 15/6/22

क्रमांक/न्यायालय /2022/114

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री अमिल उर्फ अकीला चानो ५६० फुमाज मोल्का कुसलमान डि० बी० श्रीया जेडा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

2022/346